लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल संख्या – 17

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4(1)(ख)(XVII))

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए

लघु सिंचाई विभाग की वर्ष 2018–19 की प्रगति पुस्तिका :

वर्ष 2018–19 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित सभी योजनाओं व कार्यों का विवरण इस प्रगति पुस्तिका में अंकित है। योजनावार सूचना पृथक से संकलित कर जन सामान्य तक सूचनाओं के ध्येय से प्रगति पुस्तिका कार्यालय में तथा विभागीय वेबसाइट WWW.minorirrigation.uk.gov.in पर सूचना प्राप्त की जा सकती है।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम व योजनायें :

जनसामान्य तक सूचनाओं की पहुंच के ध्येय से लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूप रेखा भी इस मैनुअल के साथ संलग्न है।

******

लघु सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड का ढांचा
(कैडर स्ट्रक्चर)

शासनादेश संख्या 625/ ।।–2006–07(34)/04 दिनांक 13 सितम्बर, 2006 द्वारा लघु सिंचाई विभाग की महत्ता एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के पूर्व स्वीकृत ढांचे को और सुदृढ़ किया गया है, जिसमें मुख्य अभियन्ता स्तर–2 का एक पद, अधीक्षण अभियन्ता के 4, अधिशासी अभियन्ता के 14, सहायक अभियन्ता के 38 व कनिष्ठ अभियन्ताओं के 145 पद एवं अन्य कार्यालय स्टाफ सहित कुल 539 पद स्वीकृत किये गये है।

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड का ढ़ाचा (कैडर स्ट्रक्चर) मैनुअल–1 पर उपलब्ध है।

विभाग द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम

सतही जल आधारित सिंचाई साधन

(क) मैदानी क्षेत्र में – छोटे–बड़े नाले तथा तालाब आदि पर विद्युत मोटर अथवा डीजल पम्पसेट लगाकर सिंचाई की जा सकती है। कहीं–कहीं पर पानी के स्रोत के पास स्टोरेज वेल बनाकर पम्प द्वारा पानी खीचा जाता है। बोरिंग कर विद्युत व डीजल पम्प स्थापित कर पानी की निकासी की जाती तथा सिंचाई व्यवस्था कर ली जाती है। बड़े कृषकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से गहरे नलकूपों की स्थापना कर सिंचाई की जाती है।

(ख) पर्वतीय क्षेत्र में – पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के मुख्य परम्परागत साधन गूल व हौज हैं व वैकल्पिक साधन हाईड्रम है। इन्हीं के द्वारा नाले व झरने/स्रोत का पानी खेतों तक पहुँचाकर सिंचाई की जाती है।

(1) गूल व हौज :– पर्वतीय क्षेत्रों की प्राकृतिक बनावट के अनुरूप ही इस क्षेत्र में पानी के स्थायी स्रोत नदियों व नालों के माध्यम से पानी, गूलों का निर्माण कर खेतों तक लाया जाता है। कभी–कभी अधिक उतार–चढ़ाव अथवा चट्टान के कारण गूल का निर्माण सम्भव नहीं होता है, ऐसे स्थानों में गूल के स्थान पर पाइप लाइन का प्रयोग किया जाता है। जब पानी स्रोत अथवा नाले में बहुत कम होता है, ऐसी स्थिति में ऐसे स्थान पर जहाँ से अधिक खेतों की सिंचाई की जा सके, हौज का निर्माण किया जाता है। इसमें स्थाई स्रोत अथवा नाले से पानी एकत्रित कर आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है।

(2) हाईड्रम :– यह वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों में एक प्रमुख साधन है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः पानी छोटे–छोटे झरनों व नालों के रूप में बहता रहता है, जिसे झरनों/नालों से उठाकर (लिफ्ट कर) कृषि क्षेत्र तक ले जाकर सिंचाई के काम में लाया जाता है। हाईड्रम वाटर हैमरिंग सिद्धान्त पर काम करता है। यह हाईड्रम बिना ईंधन के लगातार आवश्यकतानुसार पानी उठाने का कार्य स्वतः करता रहता है।

वियर (छोटे बैराज)

ऐसे नाले/गधेरे जिनका स्थाई स्रोत (Perenial source) है, का स्तर ऊँचा करके तथा पानी एकत्रित कर खेतों की सिंचाई सम्भव हो जाती है। अतः विभाग द्वारा काफी संख्या में ऐसे वियर्स का भी निर्माण कराया जा रहा है। यह योजना काफी लाभप्रद है तथा काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है।

भूगर्भ जल आधारित सिंचाई साधन –

मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई साधन :–

विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भीय संरचना के बदलाव के कारण भूगर्भ जल स्रोत एवं साधन को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र विशेष की संभावना के अनुरूप अलग–अलग तरह के निर्माण होते हैं। ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं।

1– कूप मय बोरिंग :– कूप की क्षमता को बढ़ाने हेतु मैदानी क्षेत्र में कुएं के अन्दर हैण्डसेट से स्ट्रेनर व कैविटी बोरिंग की जाती है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कहीं–कहीं जल की उपलब्धता चट्टानों के बीच में जल संग्रह के रूप में होती है, जिसे उस गहराई तक बोरिंग करके कूप क्षमता बढ़ाई जाती है।

2– बोरिंग मय पम्पसेट :– राज्य के मैदानी जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में यह कार्यक्रम बहुतायत से कराया गया है तथा निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत भी बोरिंग राज्य सहायता प्रदान कर कराये गये हैं। विभाग द्वारा कृषक की कृषि भूमि में निःशुल्क बोरिंग कराई जाती है तथा कृषक द्वारा कराये गए इस बोरिंग से डीजल पम्प अथवा विद्युत पम्प स्थापित कर पानी की निकासी कर अपनी कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा ली जाती है।

3– गहरे नलकूप :– नलकूप पानी की निकासी का वह साधन है, जिसमें बोरिंग कर समर्सिबल पम्प से पानी निकासी की जाती है। इसमें पानी उठाने की मशीन डीजल पम्पसेट अथवा विद्युत मोटर होती है। एक पक्का पम्प हाउस तथा एक डिलीवरी टैंक और फील्ड गूल का निर्माण कराया जाता है। छोटे पम्प सेट की तुलना में गहरे नलकूप कम से कम 30 मीटर एवं अधिकतम 100 मीटर तक की गहराई में बोर किये जाते हैं तथा इनका डिस्चार्ज भी काफी अधिक होता है तथा इससे 12 हैक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है।

4– आर्टीजन वेल (पाताल तोड़ कुआँ) :– यह झरने का ही रूप है, परन्तु यह प्रायः समतल व कम ढाल वाले स्थानों पर पाये जाते हैं। इनको फ्लोविंग कूप अथवा कनफाइण्ड जल प्रस्तर कुप कहते हैं। किसी भी ढालू कनफाइण्ड जल प्रस्तर में भूतल से पन्क्चर करने पर जल दबाव के कारण बहने वाले झरने को आर्टीजन कहते हैं।

कृषकों का दायित्व

लघु सिंचाई विभाग द्वारा एकल तथा सामुदायिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जिन्हें निर्माण के पश्चात सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/जल उपभोक्ता समूहों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। अतः योजनाओं के रखरखाव एवं संचालन का दायित्व लाभान्वित कृषकों का है। उनका यह भी दायित्व बनता है कि सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करें।

लघु सिंचाई विभाग का ध्येय

उत्तराखण्ड में उपलब्ध जल स्रोतों का समुचित/सुनियोजित ढंग से दोहन कर राज्य में लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि भूमि को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।

लघु सिंचाई विभाग के प्रमुख कर्तव्य

1– समस्त लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु नियोजन, क्रियान्वयन विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना। इस हेतु संसाधन पारित करना, कार्य की बाधाओं को हटाना, कार्यों की प्रक्रिया तय करना तथा कार्य की गुणवत्ता पर नियन्त्रण रखना।

2– लघु सिंचाई विभाग द्वारा छोटे–छोटे प्राकृतिक स्रोतों, नदियों, गधेरों/नालों पर योजनाओं का निर्माण कर कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, जिसमें भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

3– प्रदेश के प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, विकास एवं सुनियोजित प्रबन्धन।

4– सीमित जल संसाधनों के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग की सिंचाई प्रणालियों का विकास करना।

योजनाओं की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रक्रिया

1– विभाग द्वारा संचालित योजनाओं (गूल, हौज, हाईड्रम, बोरिंग पम्पसेट, आर्टीजन वैल, वीयर) के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्ताव कृषकों/कृषक समूहों द्वारा विकास खण्ड में तैनात कनिष्ठ

अभियन्ता/खण्ड विकास अधिकारी/उपखण्डीय कार्यालय में तैनात सहायक अभियन्ता को उपलब्ध कराया जा सकता है।

2– जिस कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु प्रस्ताव दिया जा रहा है, उसका पूर्ण विवरण (खसरा, खतौनी, सजरा) प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

3– लघु सिंचाई योजनाओं, हौज, हाईड्रम, बोरिंग पम्पसेट, आर्टीजन वैल, वीयर निर्माण हेतु न्यूनतम कृषि योग्य क्षेत्रफल क्रमशः 0.80 हैक्टेयर, 6.00 हैक्टेयर, 5.00 हैक्टेयर तथा 20.00 हैक्टेयर के मानकों को पूर्ण करना आवश्यक है।

4– मैदानी क्षेत्रों में बोरिंग पम्पसेट हेतु सामान्य वर्ग हेतु सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषकों को रू0 3000.00 तथा अनु0जाति के कृषकों को रू0 5000.0 का अनुदान अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त योजना पर आने वाले व्यय को कृषक द्वारा वहन किया जाता है।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा सृजित सिंचन क्षमता का दिनांक 31.03.2019 तक स्टेटस

क0 सं0	जनपद	कुल सृजित सिंचन क्षमता (हैक्टेयर)	गूल (कि0मी0)	हौज (संख्या)	हाईड्रम (संख्या)	बोरिंग/पम्पसेट (संख्या)	भूस्तरीय पम्पसेट (संख्या)	गहरे/मध्यम नलकूप (संख्या)	छोटे गेटेड वियर	आर्टीजन वेल (संख्या)
1	देहरादून	46359.90	3748.09	2005	131	4	0	3	0	0
2	टिहरी	47041.06	6157.71	5651	77	0	0	0	0	0
3	उत्तरकाशी	25403.57	2917.59	2982	112	0	122	0	0	0
4	हरिद्वार	92602.36	183.39	0	0	27753	0	256	0	0
5	पौड़ी	40701.52	4586.96	7181	184	75	22	0	0	0
6	चमोली	20494.62	2473.05	3179	171	0	8	0	0	0
7	रूद्रप्रयाग	4731.04	557.75	650	34	0	66	0	0	0
	योग गढ़वाल मण्डल	**277334.08**	**20624.53**	**21648**	**709**	**27832**	**218**	**259**	**0**	**0**
8	नैनीताल	27410.14	2347.25	4005	180	340	41	94	4	2
9	उधमसिंहनगर	156165.82	468.89	0	0	27749	0	378	37	393
10	अल्मोड़ा	26791.89	2760.70	4796	191	0	287	0	0	0
11	बागेश्वर	14122.31	1485.17	1522	93	0	56	0	0	0
12	पिथौरागढ़	19856.99	2042.15	4480	191	0	240	0	0	0
13	चम्पावत	12356.88	1222.65	3020	84	58	0	0	0	0
	योग कूमायूँ मण्डल	**256704.03**	**10326.82**	**17823**	**739**	**28147**	**624**	**472**	**41**	**395**
	महायोग	**534038.11**	**30951.35**	**39471**	**1448**	**55979**	**842**	**731**	**41**	**395**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में जारी स्वीकृति एवं व्यय विवरण

विभाग का नाम : लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड। **माह मार्च, 2019**

धनराशि लाख रू0 में

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक	परिव्यय	बजट प्राविधान	अब तक जारी स्वीकृति	माह 03/2019 तक का व्यय	अभ्युक्ति
	जिला योजना					
1	2702–80–052–03–26– मशीनरी एवं उपस्कर–नवीन सम्पूर्ति	3.89	0.00	3.89	3.89	
2	2702–80–800–91–01–24– हाई0 स्प्रिंकलरों का निमार्ण	14.97	0.00	14.97	14.97	
3	2702–80–800–91–01–42– अन्य व्यय	234.06	0.00	231.57	231.57	
4	2702–80–800–91–03–25–गूल हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण	129.64	0.00	125.37	125.37	
5	2702–80–800–91–05–24–जनपदों में गोदामों का निर्माण	54.81	0.00	54.81	49.81	
6	2702–80–800–91–06–24–आर्टीजन कूपों का निर्माण	118.42	0.00	118.42	118.42	
7	2702–80–800–91–04–20 लघु तथा सीमान्त कृषकों के बोरिंग तथा पम्पसेट हेतु सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2702–80–800–91–03–29 गूलों का पुनरोद्धार/सुदृढ़ीकरण	458.73	0.00	460.54	438.04	
9	ग्राउड वाटर चार्जिंग/चैकडेम निर्माण	17.11	0.00	17.11	17.11	
	योग जिला योजना	**1031.63**	**0.00**	**1026.68**	**999.18**	
	राज्य सेक्टर					

1	4702–00–796–01–02–25–ट्राईबल विकासखण्डों में आर्टीजन कूपों का निर्माण	50.00	50.00	50.00	50.00	
2	4702–00–796–01–03–25–जनजाति क्षेत्र अन्तर्गत गूल हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण	60.00	60.00	59.46	59.46	
3	4702–00–796–01–05–20– जनजाति क्षेत्र अन्तर्गत गहरी बोरिंग हेतु अनुदान	27.50	27.50	0.00	0.00	
	योग (T.S.P.)	**137.50**	**137.50**	**109.46**	**109.46**	
1	4702–00–800–02–04–24–अनुसूचित जाति लाभार्थ गूल हौज एवं पाइप लाईन निर्माण	100.00	100.00	99.09	99.09	
2	4702–00–800–02–05–20– अनुसूचित जाति क्षेत्र अन्तर्गत गहरी बोरिंग हेतु अनुदान	100.00	100.00	0.00	0.00	
	योग (S.C.S.P)	**200.00**	**200.00**	**99.09**	**99.09**	
1	4702–00–800–98–01–24 नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	500.00	500.00	500.00	500.00	
2	2702–03–101–03–00–29 लघु सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण	100.00	100.00	100.00	100.00	
	योग राज्य सैक्टर	**937.50**	**937.50**	**808.55**	**808.55**	
	केन्द्रपुरोनिधानित योजना					
1	4702–00–051–01–01–24–पी0एम0के0एस0वाई0 / त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम(सामान्य)	10000.00	10000.00	3268.650	3268.65	
2	4702–00–800–01–01–24–पी0एम0के0एस0वाई0 / त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (टी0एस0पी0)	700.00	700.00	188.00	188.00	
3	4702–00–800–01–01–24–पी0एम0के0एस0वाई0 / त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एस0सी0एस0पी0)	1500.00	1500.00	720.00	720.00	
4	4702–00–051–01–02–24–कृत्रिम भू–जल संचय	1.00	1.00	0.00	0.00	
5	4702–00–051–01–03–24– हाई0का सुदृढी0 एवं अनुरक्षण	1.00	1.00	0.00	0.00	
6	2702–80–800–01–01–20 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.01	0.01	0.00	0.00	
7	4702–00–051–01–04–24–ड्रिप / स्प्रिंकलर के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना	1.00	1.00	0.00	0.00	
	योग केन्द्र पुरोनिधानित	**12203.01**	**12203.01**	**4176.65**	**4176.65**	
	योग लघु सिंचाई	**14172.14**	**13140.51**	**6011.88**	**5984.38**	

20–सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति वर्ष 2018–19

भौतिक प्रगति

लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड

माह मार्च, 2019

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई	01.04.2018 का स्तर	वर्ष 2017–2018 की उपलब्धि	वर्ष 2018–2019 का लक्ष्य	माह का लक्ष्य	माह की उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि	वर्ष के लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सिंचन क्षमता का सृजन								
1	देहरादून	हैक्टेयर	46359.90	872.810	700.000	98.000	0.000	736.500	105%
2	टिहरी	हैक्टेयर	47041.06	302.717	250.000	35.000	63.852	318.870	128%
3	उत्तरकाशी	हैक्टेयर	25403.57	350.230	320.000	44.800	0.000	320.200	100%
4	हरिद्वार	हैक्टेयर	92602.36	620.000	500.000	70.000	320.690	835.690	167%
5	पौड़ी	हैक्टेयर	40701.52	425.770	250.000	35.000	20.000	286.500	115%
6	चमोली	हैक्टेयर	20494.62	174.124	100.000	14.000	0.000	124.844	125%
7	रूद्रप्रयाग	हैक्टेयर	4731.04	36.150	20.000	2.800	0.800	20.100	101%
	योग गढ़वाल		**277334.08**	**2781.801**	**2140.000**	**299.600**	**405.342**	**2642.704**	**123%**
8	नैनीताल	हैक्टेयर	27410.14	329.680	200.000	28.000	125.300	351.550	176%
9	उधमसिंहनगर	हैक्टेयर	156165.82	1392.000	1400.000	196.000	19.690	1439.000	103%
10	अल्मोडा	हैक्टेयर	26791.89	130.500	100.000	14.000	0.500	100.100	100%
11	बागेश्वर	हैक्टेयर	14122.31	62.360	50.000	7.000	8.160	59.460	119%
12	पिथौरागढ	हैक्टेयर	19856.99	126.450	100.000	14.000	15.600	106.700	107%
13	चम्पावत	हैक्टेयर	12356.88	285.000	160.000	22.400	0.000	188.230	118%
	योग कुमायूँ		**256704.03**	**2325.990**	**2010.000**	**281.400**	**169.250**	**2245.040**	**112%**
	महायोग		**534038.11**	**5107.791**	**4150.000**	**581.000**	**574.592**	**4887.744**	**118%**

लघु सिंचाई कार्यक्रम वर्ष 2018–19 की प्रगति

विभाग का नाम : लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

माह मार्च, 2019

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मध्यम / गहरी बोरिंग(संख्या)		नि0बो0 / पम्पसेट (संख्या)		वियर (संख्या)		आर्टीजन कूप (संख्या)		गूल निर्माण (कि0मी0)		हौज निर्माण (संख्या)		हाईड्रम निर्माण (संख्या)		सिंचन क्षमता का सृजन (हैक्टेयर)		प्रतिशत	श्रेणी
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	देहरादून	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	49.995	75	95	0	0	700.000	736.500	105	A
2	टिहरी	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	35.614	40	65	0	0	250.000	318.870	128	A
3	उत्तरकाशी	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.939	60	90	0	0	320.000	320.200	100	A
4	हरिद्वार	0	0	80	103	0	0	0	0	5.000	20.83	0	0	0	0	500.000	835.690	167	A
	वृत्त टिहरी	**0**	**0**	**80**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**132.378**	**175**	**250**	**0**	**0**	**1770.00**	**2211.260**	**125**	**A**
5	पौड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	24.350	30	25	0	0	250.000	286.500	115	A
6	चमोली	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	9.650	45	55	0	0	100.000	124.844	125	A
7	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.200	20	24	0	0	20.000	20.100	101	A
	वृत्त पौड़ी	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.00**	**34.200**	**95**	**104**	**0**	**0**	**370.00**	**431.444**	**117**	**A**
	योग गढ़वाल	**0**	**0**	**80**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.00**	**166.578**	**270**	**354**	**0**	**0**	**2140.00**	**2642.704**	**123**	**A**
8	नैनीताल	0	0	0	2	0	0	0	0	13.000	17.935	80	98	0	0	200.000	351.550	176	A
9	उधमसिंहनगर	0	0	80	92	0	0	25	40	40.000	16.832	0	0	0	0	1400.000	1439.000	103	A
10	अल्मोडा	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	2.960	50	56	0	0	100.000	100.100	100	A
	वृत्त हल्द्वानी	**0**	**0**	**80**	**94**	**0**	**0**	**25**	**40**	**58.00**	**37.727**	**130**	**154**	**0**	**0**	**1700.00**	**1890.65**	**111**	**A**
11	बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	3.670	0	8	0	0	50.000	59.460	119	A
12	पिथौरागढ	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	4.214	50	67	0	0	100.000	106.700	107	A
13	चम्पावत	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	28.311	90	104	0	0	160.000	188.230	118	A
	वृत्त पिथौरागढ़	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.00**	**36.195**	**140**	**179**	**0**	**0**	**310.00**	**354.39**	**114**	**A**
	योग कुमायूॅ	**0**	**0**	**80**	**94**	**0**	**0**	**25**	**40**	**88.00**	**73.922**	**270**	**333**	**0**	**0**	**2010.00**	**2245.04**	**112**	**A**
	महायोग	**0**	**0**	**160**	**197**	**0**	**0**	**25**	**40**	**195.00**	**240.500**	**540**	**687**	**0**	**0**	**4150.00**	**4887.744**	**118**	**A**

जिला योजना वर्ष 2018–19 में आवंटन एवं व्यय की स्थिति (जनपदवार)

लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड

माह मार्च, 2019

धनराशि लाख रू0 में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2017–18 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2018–19 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय					
			प्रस्तावित परिव्यय	बजट प्राविधान	बजट आवंटन	माह में व्यय	क्रमिक व्यय	आवंटन के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देहरादून	95.230	104.790	104.790	104.110	27.350	104.110	100%
2	टिहरी	79.060	103.410	103.410	103.410	10.000	75.910	73%
3	उत्तरकाशी	94.010	100.000	100.000	95.730	35.330	95.730	100%
4	हरिद्वार	15.000	45.000	45.000	45.000	0.000	45.000	100%
	योग वृत्त टिहरी	**283.300**	**353.200**	**353.200**	**348.250**	**72.680**	**320.750**	**92%**
5	पौड़ी	128.000	130.000	130.000	130.000	25.000	130.000	100%
6	चमोली	107.190	117.910	117.910	117.910	43.350	117.910	100%
7	रूद्रप्रयाग	39.330	41.600	41.600	41.600	15.230	41.600	100%
	योग वृत्त पौड़ी	**274.520**	**289.510**	**289.510**	**289.510**	**83.580**	**289.510**	**100%**
	योग गढ़वाल	**557.820**	**642.710**	**642.710**	**637.760**	**156.260**	**610.260**	**96%**
8	नैनीताल	39.170	50.000	50.000	50.000	9.800	50.000	100%
9	उधमसिंहनगर	163.690	191.000	191.000	191.000	65.190	191.000	100%
10	अल्मोडा	14.000	10.970	10.970	10.970	0.800	10.970	100%
	योग वृत्त हल्द्वानी	**216.860**	**251.970**	**251.970**	**251.970**	**75.790**	**251.970**	**100%**
11	बागेश्वर	39.080	20.000	20.000	20.000	0.800	20.000	100%
12	पिथौरागढ	48.750	54.000	54.000	54.000	21.000	54.000	100%
13	चम्पावत	37.730	62.950	62.950	62.950	19.100	62.950	100%
	योग वृत्त पिथौरागढ़	**125.560**	**136.950**	**136.950**	**136.950**	**40.900**	**136.950**	**100%**
	योग कुमायूँ	**342.420**	**388.920**	**388.920**	**388.920**	**116.690**	**388.920**	**100%**
	महायोग	**900.240**	**1031.630**	**1031.630**	**1026.680**	**272.950**	**999.180**	**97%**

भौतिक लक्ष्य एवं पूर्ति वित्तीय वर्ष 2018–19

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

माह मार्च,2019

मद सं0	सूत्र एवं मद का नाम	प्रबोधित किए जाने वाले मानक / संकेतक / योजनाएं	इकाई	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5	6
12	कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं (लघु और माइक्रो सिंचाई)	(i) कृषि के लिए माइक्रो सिंचाई, सिंचन क्षमता सृजन	हैक्टे0	–	–
		– ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत शामिल क्षेत्र	हैक्टे0	–	–
		– बौछारी सिंचाई के अंतर्गत शामिल क्षेत्र	हैक्टे0	–	–
		(ii) लघु सिंचाई, सिंचन क्षमता सृजन	हैक्टे0	4150.00	4887.744
		– शामिल क्षेत्र	हैक्टे0	–	–
		– निर्मित सिंचाई संभावना	हैक्टे0	–	–
		– अनुशंसित / अनुमोदित स्कीमों की संख्या	संख्या	–	–
		(क) गूल निर्माण	कि0मी0	195.000	240.500
		(ख) हौज निर्माण	संख्या	540	687
		(ग) हाईड्रम निर्माण	संख्या	0	0
		(घ) आर्टिजन कूप निर्माण	संख्या	25	40
		(ङ) वियर निर्माण	संख्या	0	0
		(च) पम्पसैट / नलकूप	संख्या	160	197
		(छ) मध्यम / गहरी बोरिंग	संख्या	0	0

118%

सिंचन क्षमता के सृजन हेतु विभाग द्वारा स्थापित हाईड्रम का जनपदवार विवरण

	हाईड्रम योजनाओं का विवरण	
कुमाऊँ मण्डल	**संख्या**	**यूनिट**
जनपद नैनीताल	97	180
जनपद ऊधमसिंह नगर	0	0
जनपद अल्मोड़ा	95	191
जनपद बागेश्वर	46	93
जनपद पिथौरागढ़	112	191
जनपद चम्पावत	43	84
योग कुमाऊँ मण्डल :	**362**	**680**
गढ़वाल मण्डल		
जनपद देहरादून	48	131
जपपद हरिद्वार	25	60
जनपद टिहरी	48	112
जनपद उत्तरकाशी	0	0
जनपद पौड़ी	66	184
जनपद रूद्रप्रयाग	81	173
जनपद चमोली	12	34
योग गढ़वाल मण्डल	**280**	**694**
महायोग	**673**	**1433**

<u>लघु सिंचाई कार्य – एक आवश्यकता</u>

- ❖ लघु सिंचाई योजनाएं अल्प समय में तैयार हो जाती है।
- ❖ शीघ्र ही उनसे कृषकों को लाभ मिलने लगता है।
- ❖ इन योजनाओं में धन का व्यय अपेक्षाकृत प्रायः कम ही होता है, इसलिए अधिक संख्या में इन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है।
- ❖ लघु सिंचाई योजनाओं में स्थानीय संसाधनों एवं प्राविधिक ज्ञान का उपयोग होता है।
- ❖ स्थानीय कृषकों एवं कारीगरों को रोजगार मिलता है।
- ❖ इन योजनाओं का उपयोग व संचालन कृषक अपनी इच्छानुसार जल उपभोक्ता समूहों का गठन कर किया जाता है।
- ❖ सघन कृषि के लिए यह योजनाएं श्रेयस्कर हैं।
- ❖ यदि भविष्य में बाढ़ एवं भूस्खलन से ऐसी योजनाएं क्षतिग्रस्त भी हो जायें, तो इनसे कृषक व शासन को बहुत बड़ी आर्थिक हानि की संभावना नहीं रहती है।
- ❖ स्थिति विशेष के कारण जिन स्थानों पर बड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन संभव नहीं, वहाँ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण सुगमता पूर्वक किया जा सकता है।